

2488

रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव एवं मु०प्र०अ० कार्यालय

विषय : संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में जिल्दसाज श्रेणी-॥ संवर्ग के कार्मिक को सतत् सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत तृतीय वित्तीय उन्नयन।

संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था० (डी), दिनांक 19 मई 2009 तथा 27/28 सितम्बर 2016 में विहित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में सतत् सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में जिल्दसाज श्रेणी-॥ संवर्ग के अधोलिखित कार्मिक को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम (श्री) एवं जन्मतिथि	वर्तमान पद	वर्तमान कार्यालय	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	एमएसीपी हेतु सेवा गणना की तिथि	प्रदान की जाने वाली वित्तीय उन्नयन	प्रदान की जाने वाली वित्तीय उन्नयन का वेतन लेवल एवं तिथि
1.	श्रीचन्द (15.07.63)	जिल्दसाज श्रेणी-॥	जे०सी०बी	10.07.84	06.10.89	तृतीय	लेवल-8 06.10.19

2. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22(1)क(1) के अंतर्गत, सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगले लेवल में वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है।

4. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अध्याधीन होंगे।

5. चूंकि श्री श्रीचन्द, जिल्दसाज श्रेणी-॥ को तृतीय वित्तीय उन्नयन दिये जाने की तिथि इस आदेश के जारी किये जाने के बाद की है। अतः संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से अनुरोध है कि इन्हें तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इनके विरुद्ध कोई भी सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक संबंधी मामला विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं है।



(प्रियम्बदा शर्मा)

व०प्र०अ०/का-2 (बी)

04 अक्टूबर 2019

जे०सी०बी

प्रतिलिपि :

निदेशक (मा०सं०) के निजी सहायक

उप मुप्रअ(का) के निजी सहायक

संबंधित कर्मचारी

मु०प्र०अ०/एपीएआर (का-2) सेल सूचना पटल

स०से०मु०/अंसे०सं के कर्मचारी संघ

मुप्रअ वेबसाइट